

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फा0स0

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक:यूआईडी-2014/480/जीजैडबी/गाजियाबाद/24/जेडी/आर-103/13/189

दिनांक: जून

10

2014,

सेवा में,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय:

मैसर्स यूटिलिटी इस्टेट प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-3/4, पार्क टाउन एन0एच0-24 ग्राम महरोली एवं शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन "आदित्य सिटी" के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा के लिए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रावीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या पत्रांक:आर-26/एफएसके/2014, दिनांक: 31-05-2014 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं उपनिदेशक फा0स0 मेरठ द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संस्था:- कुल प्लॉट एरिया-22,790.00 वर्ग मी0 है, तथा भूतल कवर्ड एरिया-5162.218 वर्ग मी0 है जिनका फ्लोर वाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में।	स्टेयर की संख्या व चौड़ाई	ऊँचाई मी0 में।
1	ब्लॉक-1 टावर-ए0	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 22 तल	586.192	534.917	2-01.50	69.15
2	ब्लॉक-1 टावर-बी0	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 23 तल	576.402	509.779	2-01.50	72.15
3	ब्लॉक-1 टावर-सी0	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 23 तल	672.706	618.105	2-01.50	72.15
4	ब्लॉक-2 टावर-ए0	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 22 तल	528.158	474.341	2-01.50	69.15
5	ब्लॉक-2 टावर-बी0	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 22 तल	513.738	458.789	2-01.50	69.15
6	ब्लॉक-2 टावर-सी0	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 22 तल	695.240	619.329	2-01.50	69.15
7	ब्लॉक-2 टावर-डी0	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 21 तल	929.623	851.061	3-01.50	66.15
8	टावर-एसटी	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 12 तल	660.21	637.457	2-01.55	39.15

2-बेसमेन्ट:- प्रश्नगत भवन में डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है लोअर एवं अपर बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया:-18243.344 वर्ग मी0 प्रत्येक।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्रस्तुत मानचित्रों के अनुसार बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट का प्रयोग पार्किंग हेतु तथा शेष सभी तलों का प्रयोग आवासीय हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 30 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रश्नगत भवन में प्रवेश/निकास द्वार की चौड़ाई-12.00 मी0 है।

3-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-15.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-15.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-15.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार सैटबेक भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटोरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना प्रस्तावित है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन में स्टेयर उपरोक्त तालिका के अनुसार है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

कार्य संचालित मुख्यालय

७०३०, लखनऊ

अग्निशमन सुरक्षा-व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निर्माकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वॉच्छनीय है।

1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु न्यूनतम 2,00,000 दो लाख हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद में पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार लीटर का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

5-होजरील मय डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर का एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

7-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन में रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर के सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

9-मैन्युवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर में मैन्युवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10-आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित भवन आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के वॉच्छनीय है।

12-अपर बेसमेन्ट में मल्टीलेवल कार पार्किंग:- प्रस्तावित भवन अपर बेसमेन्ट में मल्टीलेवल कार पार्किंग के प्रत्येक चैम्बर में स्प्रिंकलर व डिटेक्शन की पहुँच सुनिश्चित करायी जानी वॉच्छनीय है।

13-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14-हैलीपैड:- प्रश्नगत भवन ऊँचाई के अनुसार हैलीपैड की व्यवस्था एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त तलों पर एग्जिट साईनेज की स्थापना मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

16-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

17-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स यूटिलिटी इस्टेट प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-3/4, पार्क टाउन एन0एच0-24 ग्राम महरोली एवं शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन " आदित्य सिटी" के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(पी0बी0एस0)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
फायर सर्विस विभाग
६०२०१, लखनऊ

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स यूटिलिटी इस्टेट प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-3/4, पार्क टाउन एन0एच0-24 ग्राम महरोली एवं शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।